सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–58 / 2022 दर्ज तिथिः–08.07.2022

1. मुलसिंह पुत्र रायसिंह
2. कौशलसिंह पुत्र रायसिंह
3. तनसिंह पुत्र रायसिंह
4. भारमलसिंह पुत्र रायसिंह
5. बाजूकंवर पत्नी रायसिंह
6. जालमसिंह पुत्र रायसिंह गोद पुत्र केसरसिंह
7. गोरधनसिंह पुत्र बींजराजसिंह
   जाति राजपूत निवासी बूठ जैतमाल, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.................वादी

बनाम

1. कुम्पसिंह पुत्र आम्बसिंह
2. प्रतापसिंह पुत्र आम्बसिंह
3. सबलसिंह पुत्र आम्बसिंह
4. लखसिंह पुत्र आम्बसिंह
   जाति राजपूत निवासी बूठ जैतमाल,तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
5. शेतानसिंह पुत्र डूंगरसिंह
6. देवीसिंह पुत्र विरधसिंह
   जाति राजपूत निवासी गेंहु तहसील व जिला बाड़मेर

.................असल प्रतिवादीगण

7. तहसीलदार / उपपंजियक धोरीमन्ना
8. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सनावड़ा

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः–श्री महेन्द्रसिह सोढा
श्री विक्रमसिंह
प्रतिवादीः– श्री सुनिल के मेहराना
श्री धर्मसिंह भाटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:24 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

:निर्णयः

निर्णय तिथिः–23.07.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 39/8.1584 है0, 43/1/0.9632 है0, 40/12.9337 है0,43/2/1.1412 है0,44/4.9372 है0,43/10.1009 है0, वाके ग्राम बेसलानियों का तला ,पटवार मण्डल बूठ जैतमाल तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगणका हिस्सामुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 हाजा न्यायालय में असालतन–वकालतन उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी जवाब प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य नियत की गई। पत्रावली में वादी व प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया गया । तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत होने तथा वादी वकील द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया । तत्पश्चात वाद प्रारंभिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर दिनांक 28.01.2025 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू–धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1703 दिनांक 07.07.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभिभाषकगण वादी की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा कोई आपति नहीं होने का कथन किये जाने पर प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने भू.अ./2025/1703 दिनांक 07.07.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
धोरीमना

21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 15.06.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में वादी व समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक 1139–1152 दिनांक 26.03.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 16.06.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए। समस्त पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076–2079 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 39/8.1584 है0, 43/1/0.9632 है0, 40/12.9337 है0,43/2/1.1412 है0,44/4.9372 है0,43/10.1009 है0, वाके ग्राम बेसलानियों का तला ,पटवार मण्डल बूठ जैतमाल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जा– प्रकरण में तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया गया। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 39/8.1584 है0, 43/1/0.9632 है0, 40/12.9337 है0, 43/2/1.1412 है0, 44/4.9372 है0, 43/10.1009 है0, वाके ग्राम बेसलानियों का तला ,पटवार मण्डल बूठ जैतमाल तहसील धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

क्र. स.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	गोरधनसिंह पुत्र बींजराजसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार	पूर्ण	39 44	8.1584 0.9712	बा.सो. बा.सो.	2.53 0.30	हरा
			2	9.12[illegible]	बा.सो.	2.83	
2.	कौशलसिंह पुत्र रायसिंह जालमसिंह दतक पुत्र केसरसिंह तनसिंह पुत्र रायसिंह बाजूकंवर पत्नी रायसिंह भारमलसिंह पुत्र रायसिंह मूलसिंह पुत्र रायसिंह	1/10 1/2 1/10 1/10 1/10 1/10	40 43/1 43/2 44	12.[illegible] [illegible]2 1.1412 [illegible]73	बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो.	4.01 0.30 0.35 0.73	केसरिया
			4	17.3854	बा.सो.	5.39	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमना

मूलसिंह बनाम कुम्पसिंह
2022/174
निर्णय दिनांकः–23.07.2025

	कौम राजपूत सा.देह.खातेदार						
3.	कूम्पसिंह पुत्र आम्बसिंह प्रतापसिंह पुत्र आम्बसिंह लखसिंह पुत्र आम्बसिंह सबलसिंह पुत्र आम्बसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार	1/4 1/4 1/4 1/4	43 44	10.1009 1.6187	बा.सो. बा.सो.	3.13 0.50	भूरा
			2	11.7196	बा.सो.	3.63	

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

23/7/2025
(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:24 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–58 / 2022

दर्ज तिथिः–08.07.2022

1. मुलसिंह पुत्र रायसिंह
2. कौशलसिंह पुत्र रायसिंह
3. तनसिंह पुत्र रायसिंह
4. भारमलसिंह पुत्र रायसिंह
5. बाजूकंवर पत्नी रायसिंह
6. जालमसिंह पुत्र रायसिंह गोद पुत्र केसरसिंह
7. गोरधनसिंह पुत्र बींजराजसिंह

जाति राजपूत निवासी बूठ जैतमाल, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

..................वादी

बनाम

1. कुम्पसिंह पुत्र आम्बसिंह
2. प्रतापसिंह पुत्र आम्बसिंह
3. सबलसिंह पुत्र आम्बसिंह
4. लखसिंह पुत्र आम्बसिंह

जाति राजपूत निवासी बूठ जैतमाल,तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

5. शेतानसिंह पुत्र डूंगरसिंह
6. देवीसिंह पुत्र विरधसिंह

जाति राजपूत निवासी गेंहु तहसील व जिला बाड़मेर

..................असल प्रतिवादीगण

7. तहसीलदार / उपपंजियक धोरीमन्ना
8. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सनावड़ा

...................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः–श्री महेन्द्रसिह सोढा
श्री विक्रमसिंह
प्रतिवादीः– श्री सुनिल के मेहराना
श्री धर्मसिंह भाटी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:24 IST
Reason: Self Attested

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकमील आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं खसरा आराजी खसरा संख्या 39 / 8.1584 है0, 43 / 1 / 0.9632 है0, 40 / 12.9337 है0, 43 / 2 / 1.1412 है0, 44 / 4.9372 है0, 43 / 10.1009 है0, वाके ग्राम बेसलानियों का तला ,पटवार मण्डल बूठ जैतमाल तहसील धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

मूलसिंह बनाम कुम्पसिंह
2022 / 174
निर्णय दिनांकः–23.07.2025

जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

क्र. स.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	गोरधनसिंह पुत्र बींजराजसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार	पूर्ण	39 44	8.1584 0.9712	बा.सो. बा.सो.	2.53 0.30	हरा
			2	9.1296	बा.सो.	2.83	
2.	कौशलसिंह पुत्र रायसिंह जालमसिंह दतक पुत्र केसरसिंह तनसिंह पुत्र रायसिंह बाजूकंवर पत्नी रायसिंह भारमलसिंह पुत्र रायसिंह मूलसिंह पुत्र रायसिंह कौम राजपूत सा.देह.खातेदार	1/10 1/2 1/10 1/10 1/10 1/10	40 43/1 43/2 44	12.9337 0.9632 1.1412 2.3473	बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो.	4.01 0.30 0.35 0.73	केसरिया
			4	17.3854	बा.सो.	5.39	
3.	कूम्पसिंह पुत्र आम्बसिंह प्रतापसिंह पुत्र आम्बसिंह लखसिंह पुत्र आम्बसिंह सबलसिंह पुत्र आम्बसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार	1/4 1/4 1/4 1/4	43 44	10.1009 1.6187	बा.सो. बा.सो	3.13 0.50	भूरा
			2	11.7196	बा.सो.	3.63	

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

23/7/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:24 IST
Reason: SelfAttested